संख्या:123/2026/727/35-4-2026/35-4002(003)/42/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 21 अप्रैल, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना स्वीकृति कार्यों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-24/2026/499/35-4-2026/35-4002(003)/24/2026 दिनांक 31 मार्च, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-कानपुर देहात में 42 कार्यों की रू. 2456.81 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू.1180.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इन सभी कार्यों हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- आपके पत्र सं0-155/त्व0आ0वि0/2025-26 दिनांक 16.03.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 के क्रमांक- 42 पर अंकित कार्य, हृदयपुर गोकुला रो लोकियापुर से होते हुए फंदा सम्पर्क मार्ग निर्माण कार्य (लागत रू. 238.42 लाख) की कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के स्थान पर लोक निर्माण विभाग किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2026 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:123/2026/727(1)/35-4-2026/35-4002(003)/42/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, कानपुर मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर देहात।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानपुर देहात।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, कानपुर देहात।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।